प्रेषक,

मनोज सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ दिनांक 10 अक्टूबर, 2020**

विषयः प्रदेश में आलू, टमाटर एवं प्याज के भाव को नियंत्रित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया शासन के पत्रांक संख्या-43/2020/1416/58-2020-148/2015टीसी, दिनांकः 31.08.2020 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश में आलू, प्याज एवं टमाटर के भाव को नियंत्रित करने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया था कि कोविड-19 संक्रमण के चलते एवं प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में जलभराव के कारण मौसमी हरी सब्जियों के उत्पादन प्रभावित होने के कारण आलू एवं टमाटर के बाजार भाव में वृद्वि दृष्टिगत् हुई है। आलू एवं टमाटर के भाव क्रमशः रू. 30 से 36 एवं रू. 50 से 60 प्रति किलो ग्राम है। जबकि प्रदेश के विभिन्न मण्डियों में आलू एवं टमाटर के थोक बाजार भाव क्रमशः रू. 2320 से 2820 तथा रू. 2000 से 3646 प्रति कुन्तल है। इसी प्रकार प्याज के थोक बाजार भाव रू. 1430 से 3380 प्रति कुन्तल है। थोक बाजार भाव एवं फुटकर भाव में काफी अन्तर है, जो विचारणीय है।

प्रदेश में एक अनुमान के अनुसार आलू की औसत खपत लगभग 6 से 6.50 लाख मीट्रिक टन रहती है। वर्तमान समय खरीफ का अन्तिम एवं रबी का प्रारम्भ होने के कारण हरी सब्जियों की आवक बाजार में कम हो जाती है, जिससे आलू की खपत में वृद्वि होना स्वाभाविक है। अक्टूबर माह के लिए शीतगृहों में लगभग 22 लाख टन खाने का आलू भण्डारित है, जबकि प्रदेश में नवम्बर माह के आखिरी सप्ताह में नये आलू की आवक प्रारम्भ हो जाती है। टमाटर एवं प्याज की आपूर्ति अन्य प्रदेशों से आवक प्रभावित होने के कारण स्थानीय स्तर पर जमाखोरी कर अनावश्यक रूप से बाजार भाव में वृद्वि की जाती है। इसके लिए जनपद स्तर पर सभी स्टेक होल्डर यथा शीतगृह स्वामी, स्थानीय आढती, कृषक उत्पादक संगठन एवं उत्पादकों के साथ बैठक कर बाजार भाव को नियंत्रित रखने की कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि जनपद के निजी शीतगृहों में आलू भण्डारण की अवधि शीतगृह अधिनियम के अनुसार 31 अक्टूबर तक ही प्रभावी रखी जाये तथा आलू, प्याज एवं टमाटर की आवक एवं विक्री के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें, जिससे की जमाखोरी पर नियंत्रण किया जा सके।

भवदीय,

(मनोज सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

<u>पृष्ठांकन संख्या-52/2020-1735(1)/58-2020/तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त जनपदीय उद्यान अधिकारी, उ0प्र0।
2. समस्त उप निदेशक उद्यान, उ0प्र0।
3. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, लखनऊ।
4. विशेष सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(मनोज सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in